

श्री ज्योति क मांशुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

दिनांक :-

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रोविन्स बिहार नई दिल्ली ।

विषय 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 22 जून 1999

विषय:- महर्षि विद्या मन्दिर पिथौरागढ़ को सी०बी०ए०ए०ई नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कबने का निदेश हुआ है कि महर्षि विद्या मन्दिर पिथौरागढ़ को सी०बी०ए०ए०ई नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की प्रंजीकृत सोसायटी का सम्य सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की पुबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न बधाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से रिती अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोशिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्विफिसेट इकायमिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं विद्देशेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूच्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आशािकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूच्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

SHYAMASREE BISWAS
Principal
MAHARISHI VIDYAMANDIR
JAJARDEWAL, PITHORAGARH (U.K.)

प्रतिबन्धन के अन्तर्गत प्रयोग करने से प्रतिबन्धन विहित किया जायेगा।

2- विद्यालय का विद्यार्थी-परिचय प्रमाणपत्रों में उक्त असेना।

3- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वामुखित के विना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्धन वह भी होगा जिस शर्तों द्वारा वह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय द्वारा निर्मित नवीन भवन में नवीन शैक्षणिक संयोजित की जाये।

3- उक्त प्रतिबन्धनों का पालन करना शर्तों के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि शर्तों द्वारा उक्त प्रतिबन्धनों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्धि या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अनुपारित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

प्रभोकर गौरी
संयुक्त सचिव।

पुस्तक 3059111/15-7-1999 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायू, मंडल नैनीताल।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, पिथौरागढ़।
- 4- निरीक्षक, आर्य समाज भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, महर्षि विद्या मन्दिर, मानस मन्दिर कैम्प रोड पिथौरागढ़।

आशा है,

भवदीय
प्रभोकर गौरी
संयुक्त सचिव।

SHYAMASREE BISWAS
Principal
MAHARISHI VIDYAMANDIR
JAJARDEWAL, PITHORAGARH (U.K.)